437

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कमांकः–जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./09/डी– 639 दिनांकः– 22-06-2009

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 53वी बैठक दिनांकः 18.6.09 को पूर्वान्ह 10.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :–

क्र. सं	जो. नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		53:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 52वीं बैठक दिनांक 1.6.09 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन एवं 50वीं से 52वीं बैठकों में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा	I. प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **50वीं बैठक** दिनांक 18.2.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्देश दिये गये :– i. प्रस्ताव संख्या 50:3 के संदर्भ में दुकान के उपर छत के वाणिज्यिक आवंटन के लंबित प्रस्तावों के जोनवार प्रकरणों की सूची सभी जोन्स से प्राप्त होनी थी जिसमें जोन संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 एवं 11 की सूचना अप्राप्त है। अतः सभी संबंधित अतिरिक्त आयुक्तों एवं उपायुक्तों को निर्देश दिये गये कि 30 जून, 2009 से पूर्व ऐसे प्रकरणों की रिपोर्ट के साथ सूची प्रस्तुत की जावे ताकि जुलाई की बैठक में निर्णय हो सके। ii. प्रस्ताव संख्या 50:6 के संदर्भ में डेयरी योजना में जिन लोगों को भूखण्ड आवंटित किये गये हैं उनके संबंध में जोन उपायुक्त को निर्देश दिये गये कि वे यह रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि योजना में आवंटियों द्वारा भूमि का डेयरी हेतु ही उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं तथा क्या उनके द्वारा पूर्व में चलाई जा रही डेयरियों को नव आवंटित डेयरी योजना के भूखण्डों पर शिफ्ट किया गया है अथवा नहीं। जोन उपायुक्त इस संबंध में रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। अन्य सभी रियायती आवंटन के प्रकरणों के लिए भी सभी उपायुक्त गण को निर्देशित किया गया कि वे इस बाबत सुनिश्चित करे कि भूमि का जिस उद्देश्य एवं जिन शर्तो के अध्यधीन आवंटन किया गया है उनकी पालना हो रही है अथवा नहीं। पालना यदि नहीं हो रही है तो तदनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे। iii. प्रस्ताव संख्या 50:9 के संदर्भ में प्रकरण का पुनः

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				परीक्षण किया गया। राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल द्वारा चाही गई भूमि की एप्रोच रोड 30फीट है जबकि जविप्रा (जयपुर रीजन भवन) विनियम, 2000 के नियम 8.4 के अनुसार 60फीट रोड पर ही संस्था को 4000व.मी. से अधिक भूमि आवंटित की जा सकती है। अतः मापदण्डों की पूर्ति न होने के कारण संस्था को सूचित किया जावे कि उक्त आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है। II. प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **51वीं बैठक** दिनांक 27.2.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्देश दिये गये :– i. प्रस्ताव संख्या 51:4(1) के क्रम में निर्देश दिये गये कि 33के.वी. ग्रिड सब स्टेशन को स्थानान्तरित किया जाना सुगम यातायात के लिए अत्यंत आवश्यक है अतः उपायुक्त राज्य सरकार के संबंधित विभाग से व्यक्तिगत संपर्क कर स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास करें। ii. प्रस्ताव संख्या 51:4(2) उपायुक्त जोन को निर्देशित किया गया कि शोपिंग सेंटर के हाल संख्या 13 व14 व पुराने भवन के बारे में विस्तृत ब्योरा तैयार कर अवगत कराये साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग में सम्पर्क कर स्कूल स्थानान्तरित करवाने का प्रयास करें। III. प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **52वीं बैठक** दिनांक 1.6.09 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही निर्णयों की क्रियान्विती की समीक्षा करते हुए निम्नांकित निर्देश भी दिये गये :– i. प्रस्ताव संख्या 52:6 के प्रकरण में यह भी देखा जावे कि अधिक भूमि भूखण्डों के आगे अथवा पीछे है और उसका क्या अन्य उपयोग हो सकता है। ii. सूचना आयोग कार्यालय भवन हेतु प्रस्ताव संख्या 52:7(2) भूमि यथासंभव संस्थानिक क्षेत्र (जोन–1) के आसपास चिन्हित की जाकर शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावे। iii. जोन उपायुक्त को गत बैठक में प्रस्तावित की गई भूमि के सबंध में बीएसएफ अधिकारियों ने आपत्ति प्रकट की है अतः बीएसएफ के अधिकारियों से चर्चा कर संशोधित प्रस्तावों की आवश्यकता हो तो आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जावे। iv. अनुपालना से शेष बिन्दुओं पर क्रियान्विति आगामी बैठक से पूर्व सुनिश्चित की जावे।

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

436

2.	12	53:2	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र जयपुर के लिए ग्राम कानोता तहसील बस्सी में खसरा नम्बर 624 रकबा 18बीधा 4बिस्वा में से 16185 व.मी. भूमि आवंटन बाबत।	प्रस्तावित भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र है अतः राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.2.09 के अनुसरण में कार्यवाही की जावे व धारा 25(3) व 25(2) की कार्यवाही कर भूमि का भू–उपयोग संस्थानिक करवाया जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि इससे पूर्व मौके पर भूमि का पीटी सर्वे करवाया जावे। चूंकि उक्त खसरा नम्बर का क्षेत्र विस्तृत है अतः संस्थानिक आवंटनों के प्रयोजनार्थ इसकी प्लानिंग भी करवा ली जावे। संस्थानिक आवंटनों के लिए 60फीट रोड की कनेक्टीविटी को भी प्लान किया जावे।
3.	8	53:3	प्रार्थी श्री बाबूलाल शर्मा पुत्र जवाहर लाल शर्मा को पुनर्वास के तहत जविप्रा अपीलीय अधिकरण में अपील संख्या 110/05 निर्णय दिनांक 11.10.06 के निर्णय के अनुसरण में ग्राम सुखपुरिया तहसील सांगानेर में जविप्रा की भूमि में सृजित रिक्त दुकान संख्या 22 से 37 में से 3 दुकानों की 50वर्गगज अर्थात् 41.80व.मी. का व्यावसायिक भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	यह प्रकरण उपायुक्त जोन–4 के क्षेत्र के व्यावसायिक भूखण्ड को सड़क निर्माण के कारण तोड दिये जाने से पुनर्वास नीति के तहत व अपीलीय अधिकरण की के निर्णय की पालना में व्यावसायिक भूखण्ड जोन–8 में दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। उपायुक्त जोन–4 व 8 को निर्देशित किया गया कि वे प्रकरण का पूर्ण परीक्षण कर विस्तृत ब्यौरे के साथ आगामी बैठक में पेश करें।
अतिरिक्त एजेण्डा				
4.	10	53:3(1)	महिमा शिक्षा समिति को ग्राम गोविन्दपुरा रोपाडा तहसील सांगानेर के खसरा नंबर 364, 426 में से 2.63 हैक्टेयर भूमि आवंटन करने बाबत्।	निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007 के मापदण्डानुसार संस्था को 30एकड़ भूमि लगातार होना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण में भूमि लगातार नहीं होकर दो अलग–अलग भागों में है तथा दोनों टुकडे जुडे हुए नहीं है। इस विषय में और जानकारी प्राप्त कर पूर्ण तथ्यों के साथ आगामी बैठक में रखा जावे।
5.	12	53:3(2)	पार्थ नगर योजना में भूखण्ड संख्या ए–256 व बी–485, सी–888 व सी–567 के बढे हुए क्षेत्रफल का आवंटन एवं दर तय करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार बढे हुए क्षेत्रफल को आवासीय आरक्षित दर से दुगुनी दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। भूखण्ड संख्या–बी–485 का बढा हुआ क्षेत्रफल 100वर्गगज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् ही आवंटन की कार्यवाही की जावे।
6.	12	53:3(3)	श्री रामकृपा लैण्ड मार्क प्रा. लि. जरिये निदेशक श्रीमती रेणु अग्रवाल रिसर्जेन्ट राजस्थान को ग्राम चिमनपुरा उर्फ ढाबकानला तहसील आमेर के खसरा नंबर 27,	प्रकरण स्थगित किया गया।

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

427

			28, 31 से 34 तक कुल किता 6 रकबा 0.49 हैक्टेयर भूमि का आवंटन करने बाबत्।	
7.	9	53:3(4)	रामनगरिया योजना में स्वच्छ जलाश्य एवं पम्प हाउस निर्माण हेतु सेक्टर 30 में 5525व.मी. भूमि निःशुल्क आवंटन हेतु।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई ।

सदस्य सचिव
एव
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2- निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
3- जिला कलक्टर, जयपुर
4- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
5- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
6- मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
7- मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
8- सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
9- निदेशक(वित्त / अभि0 / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
10- अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि), जविप्रा, जयपुर
11- अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
12- उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
13- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर
14- रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एव
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 53–वी बैठक दिनांक 18.6.09 में उपस्थित अधिकारियों की सूची:–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री सुधांश पंत आयुक्त, जविप्रा	अध्यक्ष
2.	श्री ललित कुमार गुप्ता, सचिव	सदस्य
3.	श्री भास्कर शर्मा, निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री एच.एस.संचेती, निदेशक (टी.पी.)	सदस्य
5.	श्री ओ.पी.दोराया, निदेशक (अभियांत्रिकी)	सदस्य
6.	श्री एन.एल.मीणा, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)	सदस्य
7.	श्री आर.के.पारीक, अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)	सदस्य सचिव
8.	श्रीमति दुर्गा जोशी, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)	सदस्य
9.	श्रीमति सीमा सिंह, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम)	सदस्य
10.	श्री गिर्राज अग्रवाल, उपायुक्त जोन–4	विशेष आमंत्रित
11.	श्री एच.एम.ढाका, उपायुक्त जोन–5	विशेष आमंत्रित
12.	श्री एस. मित्रा, उपायुक्त जोन–7	विशेष आमंत्रित
13.	श्री संजय जैन, उपायुक्त जोन–8	विशेष आमंत्रित
14.	श्री हदेश शर्मा, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
15.	श्री अजय असवाल, उपायुक्त जोन–10	विशेष आमंत्रित
16.	श्री बाबूलाल गोयल, उपायुक्त जोन–11	विशेष आमंत्रित
17.	श्री जाकिर हुसैन, ए.डी.आर.	विशेष आमंत्रित
18.	श्री शुभकरण बेनीवाल, तहसीलदार जोन–2	विशेष आमंत्रित
19.	श्री संजय माथुर,, तहसीलदार जोन–12	विशेष आमंत्रित